15/03/2014

पत्रावली पेश हुई। पुकार उभय पक्ष हुए। प्रतिवादी सं० 2 व 3 की तामील मे व्यक्तिगत रूप से होकर आती है व्यक्तिगत तामील उक्त प्रतिवादीगण की ओर से आदिनांक कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी सं० 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी की पहचान श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत एड० ने तथा ~~वकील~~ प्रतिवादी सं० 1 की पहचान श्री सांवरमल चौधरी एड० ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अतः हस्ताक्षर पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 अपनी कृषि भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवाते हुए न्यायालय हाजा से निस्तारण प्राप्त करना चाहते हैं। विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक

(लक्ष्मीनारायण) [signature] प्रति० 1 के वकील

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय
जरिये   बनाम
मुकदमा नं.

भी किया जा चुका है। अतः वाद, वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम सिलोर छोटी तहसील धोद जिला सीकर (राज०) स्थित कृषि भूमि ख० नं० 583 रकबा 0.6500 है० का प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख० नं० 35 रकबा 0.7600 है० के पश्चिमी दिशा के रकबे 0.0550 है० हिस्से का प्रतिवादी सं० 1 लक्ष्मीनारायण को एवं शेष रकबा 0.7050 पूर्वी दिशा के हिस्सा का वादी बंशीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार मिन बट्टा नम्बर डालते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/09/201 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर
द्वितीय (सीकर)

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर